बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी०पी०एम०–29 / 2016– 1167 / कृ0,पटना, दिनांक 28-02- ,2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना अंतर्गत अन्न भंडारण कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2012–13 में गोदाम निर्माण के बकाया अनुदान भुगतान हेतु कुल 5.00 लाख रूपये (पाँच लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना अंतर्गत अन्न भंडारण कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2012–13 में गोदाम निर्माण के बकाया अनुदान भुगतान हेतु कुल 5.00 लाख रूपये (पाँच लाख रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2012–13 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–3238 दिनांक–18.06.2012 द्वारा राज्य योजना से अन्न भंडारण कार्यक्रम के लिए कुल 3000.00 लाख रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई थी। जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कृषक श्री श्रीकांत चौधरी, पिता–श्री योगी चौधरी, ग्राम–कुशधर, प्रखण्ड–राजपुर, जिला–रोहतास का गोदाम निर्माण पूर्ण होने के उपरांत दिनांक–31.03.2013 को जिला कृषि कार्यालय, रोहतास (सासाराम) में विपत्र प्रस्तुत करने के कारण जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) द्वारा कोषागार से अनुदान राशि की निकासी नहीं की जा सकी। उक्त बकाये के भुगतान हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, इसका उपयोग अन्य कार्य में नहीं किया जा सकेगा। भुगतान के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी नियमानुसार जाँच कर सम्पुष्ट हो लेंगे कि कृषक का दावा सही है अथवा नहीं।

3. स्वीकृत राशि की निकासी जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) द्वारा जिला कोषागार, रोहतास (सासाराम) से की जायेगी तथा नियमानुसार श्री श्रीकांत चौधरी, पिता–श्री योगी चौधरी, ग्राम–कुशधर, प्रखण्ड–राजपुर, जिला–रोहतास का गोदाम निर्माण मद में बकाये राशि का भुगतान किया जायेगा।

4. स्वीकृत्यादेश की अन्य सभी आदेश पूर्ववत रहेंगी।

5. वित्तीय वर्ष 2017–18 में बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण– मांग सं०–1 उपशीर्ष–0106–इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड–01–2401001090106, विषय शीर्ष–33–सब्सिडी–0106.33.01 सब्सिडी	8147.00	5.00

6. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक–3758/वि0 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

7. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी०पी०एम०–29/2016 के पृ0सं0– 37/टि. पर दिनांक– 27.02.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.2.2018

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–29/2016 1167 /कृ0, पटना दिनांक 28-02-2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.2.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–29/2016 1167 /कृ0, पटना, दिनांक 28-02-2018

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.2.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–29/2016 1167 /कृ0, पटना, दिनांक 28-02-2018

प्रतिलिपि : जिला कोषागार, रोहतास (सासाराम) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.2.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पी०पी०एम०–29/2016 1167 /कृ0, पटना, दिनांक 28-02-2018

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के सभी संबंधित पदाधिकारीगण/जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)/संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना प्रमंडल, पटना/जिला नोडल पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)/जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

28.2.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\RAJYADESH GODOWN STATE PLAN 20117-18.DOCX